प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
21.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00बजे

प्रश्नकाल

हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में एफआरए के तहत 3 हजार 3 सौ 27 मामले मंजूर किए गए हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एफआरए एक्ट 2006 पूर्व यूपीए सरकार का एक क्रांतिकारी कानून है, लेकिन हिमाचल में इस कानून का अभी तक पूरा सदुपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एफआर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अप्रैल महीने में पंचायती राज प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप करने जा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हित्त में इस कानून को लागू करेगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारों ने हमेशा ही इस कानून को ठंडे बस्ते में डाले रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी संबंध में विधायक अनुराणा राणा के प्रतिपूरक सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि एफआरए के तहत 52 मामले स्वीकृत किए गए हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यदि एसआईडीसी में काम करने में किसी ठेकेदार की कोताही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

हर्षवर्धन चौहान ने में कहा कि गत दो वर्षों में एसआईडीसी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में 6 सौ 16 टैंडर आवंटित किए गए, इनमें से 2 सौ 42 का कार्य प्रगति पर है जबकि शेष 3 सौ 74 का कार्य पूरा कर लिया गया है। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 7 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले तक चंबा में भी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र था, लेकिन इसे कांगड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का मामला केंद्र सरकार से उठाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ब्राइडल पाथ बनाने के लिए 36 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई थी, लेकिन यह राशि किन्ही कारणों से जारी नहीं की जा सकी और अब इस वित्त वर्ष में ये राशि जारी की जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत सरकार केन्द्र से आई राशि को खर्च करने के लिए उपायुक्त सिरमौर को निर्देश देगी। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि उनके एरिया में नमामि गंगे योजना के तहत केन्द्र सरकार ने 29 करोड़ 92 लाख रूपए दिए हैं जिस पर जल्द काम करने का आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मुकेश अगिनहोत्री ने विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति का एक डिवीजन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र और ग्रामीण विकास में सरकार संस्थानों का युक्तिकरण कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के हित में जहां भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी वहां खोलेंगे लेकिन अंधे तरीके से संपदा को नहीं लुटाया जाएगा।

विमल नेगी

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में भाजपा ने आज शिमला स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित विधायक दल ने मामले की सीबीआई जांच और एचपीपीसीएल की दो वर्ष की गतिविधियों की जॉच की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चीफ इंजीनियर की मौत के बाद परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और उच्च अधिकारियों पर गलत काम करवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की भी मांग की थी जिसमें एक को ही निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो सके।